रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2014/कार्तिक 2, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 125
No. 136]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2014/KARTIKA 2, 1936	[N.C.T.D. No. 125

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(कार्यालय निर्वाचन अधिकारी)

(निदेशालय आयुष)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2014

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् निर्वाचन, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी)

सं. एफ. 3(307)/2014/आयुष/होवि/स्था./4795.—एतद्द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (निर्वाचन) नियमावली, 1975 के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधनी की केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के सदस्यों का चुनाव होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धरा–3 की उपधारा (1) (1) के खंड के उपबंधों के अनुसरण में किया जाना है । निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है ।

1 निर्वाचित किया जाने वाले दिल्ली के लिये केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के सदस्यों की सख्या एक (1) होगी ।

2 मतदाता सूची निदेशालय आयूष, आयुर्वैदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज परिसर करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में प्रदर्शित की जायेगी। यह शनिवार को छोडकर सभी कार्य दिवसों पर अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे के बीच केवल 250 रु. की लागत पर निर्वाचन अधिकारी से खरीदने के लिए उपलब्ध होगी ।

3 नामांकन–पत्र 29 अक्टूबर 2014 से 5 नवम्बर 2014 तक किसी भी कार्य दिवसो पर अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे के बीच, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 स्थित आयुर्वैदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है ।

4 नामांकन–पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को व्यकितगत रूप से या डाक द्वारा सौपे जा सकते है। ताकि आयुर्वैदिक एव यूनानी तिब्बिया कॉलेज परिसर करोल बाग, नई दिल्ली–110005 स्थित उनके कार्यालय मे 10 नवम्बर 2014 को या इससे पूर्व शनिवार को छोडकर सभी कार्य दिवसों पर अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे तक पहुँच सके ।

5 नामांकन पत्र की जांच 10 नवम्बर 2014 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे अपराह्न 4.30 बजे आयुर्वैदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज परिसर करोल बाग नई दिल्ली–110005 में की जायेगी ।

6 चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 17 नवम्बर 2014 अपराह्न 2.30 बजे तक होगी ।

7 चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा 17 नवम्बर 2014 अपराह्न 3.00 बजे की जाएगी ।

8 यदि आवश्यक हो तो मत–पत्र निर्धारित पति के अनुसार 1 दिसम्बर 2014 तक पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे ।

9 मत प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2015 अपराह्न 4.30 बजे तक होगी । आयुर्वैदिक एव यूनानी तिब्बिया कॉलेज परिसर करोल बाग, नई दिल्ली–110005 स्थित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय मे रखी मतपेटी मे डाक से या व्यक्तिगत रूप से शनिवार को छोडकर सभी कार्य दिवसों को अपराहन 2.30 बजे से 4.30 के बीच सौंपे जाएगे ।

10 मत–पत्र आयुर्वैदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज परिसर करोल बाग, नई दिल्ली–110005 स्थित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 2 जनवरी 2015 पूर्वाह्न 9.30 बजे जॉच की जाएगी और गणना की जाएगी । सी सी एच के चुनावों का परिणाम वैद्य मतपत्रों की गणना पूरी होने के बाद किया जाएगा ।

संजय गिहार, निर्वाचन अधिकारी/निदेशक (आयूष)
निर्वाचन केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(Office of Returning Officer)

(Directorate of AYUSH)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2014

Central Council Of Homoeopathy Election Delhi (U.T.)

F. No. 3(307)/2014/AYUSH/HW/Estt/ 4795.—It is hereby notified to all concerned that election of members of Central Council of Homoeopathy for Union Territory of Delhi as per Homoeopathy Central Council(Election) Rules, 1975 is to be held in pursuance of the provision of clause (a) of sub section-1(1) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973). It is notified that:

1. The number of members of the Central Council of Homeopathy, Delhi (Union Territory) to be elected: is One (1)
2. The Voters list will be on display at Directorate of AYUSH, A & U Tibbia College Complex, Karol Bagh, New Delhi - 110005. The same shall also be available for purchase from the Returning Officer at the cost of Rs. 250/- only between 2.30 P.M to 4.30 P.M on all working days except Saturday.
3. Nomination form may be obtained from the office of the Returning Officer at A & U Tibbia College Complex, Karol Bagh, New Delhi-110005 on any working day between 2.30 P.M to 4.30 P.M from 29th October, 2014 to 5th November, 2014.
4. Nomination papers may be delivered to the undersigned personally or send by post so as to reach in his office at A & U Tibbia College Complex, Karol Bagh, New Delhi-110005 on all working day between 2.30 P.M. to 4.30 P.M except Saturday on or before 10th November, 2014.
5. The nomination paper will be taken up for the scrutiny by undersigned at 4.30 P.M on 10th November, 2014 in the office of Returning Officer, A & U Tibbia College Complex, Karol Bagh, New Delhi-110005.
6. Last date for withdrawal of nomination by any candidate for the election will be 17th November, 2014 at 2.30 P.M.

7. Announcement of the name of the candidate for the election will be made on 17th November, 2014 at 3.00 P.M.
8. Ballot papers if required will be sent by registered post as per the procedure prescribed latest by 1st December, 2014.
9. Last date for the receipt of ballot papers shall be 1st January, 2015 upto 4.30 P.M whether delivered by post or personally to be inserted in the ballot box kept in the office of the Returning Officer at A & U Tibbia College Complex, Karol Bagh, New Delhi-110005 on all working days except on Saturday between 2.30 P.M and 4.30 P.M.
10. The ballot papers shall be taken up for the scrutiny and counting at the office of the Returning Officer at A & U Tibbia College Complex, Karol Bagh, New Delhi-110005 on 2nd January, 2015 at 9.30 A.M. The result of the election to CCH shall be announced on completion of counting of valid votes.

SANJAY GIHAR, Returning Officer/Director (AYUSH)
Elections Central Council of Homeopathy

गृह पुलिस-I / स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2014

सं. एफ.11/18/2014/डी.ओ.पी./एच.पी.-I/ 2560 से 2576.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सहर्ष, श्री सुशील कुमार त्रिपाठी (जन्मतिथि 30.8.1976) सहायक लोक अभियोजक को, तत्काल प्रभाव से, पदोन्नति पर अत्यावश्यक एवं तदर्थ आधार पर छह महीने या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी प्रथम हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी.पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME POLICE-I/ ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2014

No. F. 11/18/2014/DOP/HP-I/ 2560 to 2576.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 24 of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sushil Kumar Tripathi (DOB – 30.8.1976) Assistant Public Prosecutor on promotion as Additional Public Prosecutor for the National Capital Territory of Delhi with immediate effect for a period of six months or till further orders whichever is earlier on purely adhoc and emergent basis.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
G.P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.